राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 67/2017/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–763/2014/जयपुर)

2. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 68/2017/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–764/2014/जयपुर)

मैसर्स इंटैक्स टैक्नॉलोजीज (इण्डिया) लिमि., जयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–प्रथम, जयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/08/2018

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 763/2014 व 764/2014/जयपुर में पारित किये गये संयुक्त निर्णय दिनांक 28.6.2017 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं सन्दर्भित निर्णय दिनांक 28.6.2017 एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन–पत्र के जरिये उक्त निर्णय दिनांक 28.6.2017 में यह त्रुटि होना दर्शाया गया है कि कर बोर्ड द्वारा मोबाईल चार्जर को मोबाईल "पार्ट्स" ना मानकर "एसेसरी" मानते हुए वर्ष 2013–14 की अवधि के लिये भी 14 प्रतिशत से करारोपणीय अवधारित कर दिया गया, जबकि दिनांक 6.3.2013 से अनुसूची–IV के पार्ट–ए की प्रविष्ठि संख्या 28 में "पार्ट्स" के साथ "एसेसरी" को भी अंकित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में दिनांक 6.3.2013 के बाद एसेसरी के रूप में भी कर दर 5 प्रतिशत हो जाने से उस प्रकरण में 14 प्रतिशत से आरोपित कर को 5 प्रतिशत किया जाना निर्णीत किया जाना चाहिये था।

4. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से उचित है, अतः उक्त विवादित आदेश दिनांक 28.6.2017 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

लगातार............2

"यह कि दिनांक 6.3.2013 से अनुसूची–IV के पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 6.3.2013 को पार्ट्स के साथ में एसेसरी को भी सम्मिलित कर दिया गया है तथा उक्त आदेशों में दिनांक 6.3.2013 के पश्चात् की कर दर 14 प्रतिशत की पुष्टि की गयी है, उसमें सुधार करते हुए यह अंकित किया जाता है कि दिनांक 6.3.2013 के पश्चात् अर्थात् वर्ष 2012–13 में दिनांक 6.3.2013 से 31.3.2013 की अवधि में मोबाईल चार्जर की विक्रय राशि पर 5 प्रतिशत से करारोपण मय ब्याज किये जाने तक अपील स्वीकार की जाती है।"

5. फलतः दिनांक 6.3.2013 से 31.3.2013 तक कर निर्धारण आदेश में 5 प्रतिशत की कर दर से गणना करते हुए तदनुसार कर एवं ब्याज की राशि में कमी की जावे तथा वर्ष 2013–14 के पूरे वर्ष में मोबाईल चार्जर की विक्रय राशि पर 14 प्रतिशत से किये गये करारोपण में से 5 प्रतिशत की सीमा तक आरोपित किये गये कर की पुष्टि करते हुए अवशेष अन्तर कर एवं ब्याज को निरस्त करने के निर्देश दिये जाते हैं। इस तरह वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कर निर्धारण अधिकारी उक्तानुसार गणना कर मांग में कमी करें।

6. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी के संशोधन प्रार्थना–पत्र उक्त विवेचन अनुसार स्वीकार किये जाते हैं।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य